संख्या:454/2016/6311जेएल/22-3-16-100(80)/2015

प्रेषक,

हरि नारायण गिरि,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-3 ***लखनऊ: दिनांक: 28 नवम्बर, 2016***

विषय: जिला कारागार, लखनऊ में निरूद्ध विचाराधीन बंदी उधम सिंह पुत्र श्री वीर नारायण सिंह, निवासी जनपद-मेरठ को अन्यत्र कारागार में स्थानान्तरित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-41447/सामा-1(3)/बरेली मं0/2012, दिनांक 22-11-2016 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश संख्या-74/2016/814जेएल/22-3-16-100(80)/2015, दिनांक 26-02-2016 द्वारा जिला कारागार, लखनऊ में निरूद्ध विचाराधीन बंदी उधम सिंह पुत्र श्री वीर नारायण सिंह को जिला कारागार, एटा स्थानान्तरित किया गया था। इस सम्बन्ध में आपके उपरोक्त पत्र में किये गये प्रस्ताव पर सम्यक विचारोपरान्त उक्त स्थानान्तरण आदेश दिनांक 26.02.2016 एतदद्वारा निरस्त करते हुए उ0प्र0 जेल मैनुअल के प्रस्तर-128 सपठित-409ए में निहित प्राविधानों के अनुसार जिला कारागार, लखनऊ में निरूद्ध विचाराधीन बंदी उधम सिंह पुत्र श्री वीर नारायण सिंह को प्रशासनिक आधार पर केन्द्रीय कारागार, नैनी, इलाहाबाद स्थानान्तरित किये जाने की स्वीकृति **इस शर्त के अधीन प्रदान की जाती है कि बंदी को स्थानान्तरित किये जाने से पूर्व विशेष अनुज्ञा याचिका संख्या-1735-1739/2012-महाराष्ट्र राज्य बनाम सईद सुहैल शेख व अन्य में मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्राविधानित व्यवस्था के अनुसार समस्त मा0 विचारण न्यायालयों की पूर्वानुमति अधीक्षक, जिला कारागार, लखनऊ द्वारा अवश्य प्राप्त कर ली जायेगी।**

2- कृपया उपरोक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित कराते हुए कृत कार्यवाही की अनुपालन आख्या शासन को शीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(हरि नारायण गिरि)
अनु सचिव।

संख्या:454/2016/6311जेएल(1)/22-3-16-उक्तदिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. अपर पुलिस महानिदेशक, कानून व्यवस्था, उ0प्र0, पुलिस मुख्यालय, लखनऊ।
2. जिला मजिस्ट्रेट/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, लखनऊ।
3. जिला मजिस्ट्रेट/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, इलाहाबाद।
4. अधीक्षक, जिला कारागार, लखनऊ/वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, नैनी, इलाहाबाद।
5. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(हरि नारायण गिरि)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in